राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 139 (45) पराวि/विधि/संशो/2021/190 जयपुर, दिनांक 02/06/2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषयः—प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के दौरान पट्टा जारी करने के संबंध में प्रभार दर में छुट बाबत।
संदर्भः— विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.5.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टों की दर/प्रभार के संबंध में विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.5.2023(संलग्न)के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्न :— उपरोक्तानुसार

01.6.23
(निशु कुमार अग्निहोत्री)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—
1. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
3. ए.सी.पी. मुख्यालय को बेवसाईट पर अपलोड हेतु

उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 03, बुधवार, *शाके* 1945-मई 24, 2023

Jyaistha 03, Wednesday , Saka 1945- May 24, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मई 23, 2023

जी.एस.आर.28 :–राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत शक्तियों और उसे इस निमित समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभः– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2.नियम 157 का संशोधनः– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप–नियम (1) के परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रशासन गांव के संग अभियान 2021'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 और प्रशासन गांव के संग अभियान 2023'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ 139 (45) परावि/विधि/संशो/2021/183]
राज्यपाल के आदेश से,

नीशू कुमार अग्निहोत्री,
शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT)
NOTIFICATION
JAIPUR MAY 23, 2023

G.S.R.28 .-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 157**- In proviso to sub-rule (1) of rule 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, for the existing expression " Prashasan Gaon Ke Sang Abhiyan 2021", the expression " Prashasan Gaon Ke Sang Abhiyan 2021 and Prashasan Gaon Ke Sang Abhiyan 2023" shall be substituted.

[NO. F. 139 (45) PR/LEGAL/AMEND/2021/183]
By Order of the Governor,

NISHU KUMAR AGNIHOTRI,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.